अनेक्चर-1

प्रेषक,

पूनम राजपूत,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 7
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

माननीय महा निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर।

विषयः– अचल सम्पत्ति विक्रय करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मैं वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 7 मुजफ्फरनगर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे पति स्व0 श्री आदेश कुमार की मृत्यु दिनांक 24.06.2018 को हुई है। मेरे पति स्व0 श्री आदेश कुमार की मृत्यु के पश्चात् मुझे व मेरे पुत्र अर्नव चौहान (अवयस्क जन्मतिथि दिनांक 25.10.2005) को अपने पिता स्व0 श्री आदेश कुमार से अचल सम्पत्ति खाता खतौनी सं0 2179 खसरानं0 775 (टी0एच0डी0सी0 भूखण्ड सं0 60 का भाग) रकबा 382.5 वर्ग फीट अर्थात 35.54 वर्ग मीटर स्थित मौजा देहरा खास, परगना केन्द्रीय दून जिला देहरादून (आवासीय भूमि) में 1/2 भाग अर्थात (1/4–1/4 भाग) प्राप्त हुआ।

उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति में से 1/2 भाग के मालिक काबिज मेरे पति के छोटे भाई नवनीत कुमार रहे। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति मेरे पति स्व0 श्री आदेश कुमार व उनके भाई श्री नवनीत कुमार की 1/2–1/2 सम्पत्ति रही। श्री नवनीत कुमार द्वारा उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति में से अपने हिस्से की 1/2 सम्पत्ति को श्री प्रेम कुमार के पक्ष में दि0 23.12.2020 को मुबलिग 13,00,000/–रूपये (तेरह लाख रूपये) रूपये में विक्रय कर दिया है। मैं उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति में अपने हिस्से की सम्पत्ति को विक्रय करना चाहती हूँ। उपरोक्त सम्पत्ति को श्री प्रेम कुमार (प्रार्थीया का सगा भाई) अंकन 13,00,000/–(तेरह लाख) रूपये में क्रय करने को तैयार है। जो वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुरूप है। जिसके सम्बन्ध में मेरे व श्री प्रेम कुमार के द्वारा विक्रय अनुबन्ध पत्र दि0 24.12.2020 तैयार किया गया तथा बतौर अग्रिम धनराशि श्री प्रेम कुमार द्वारा मुझे 2,00,000/–(दो लाख) रूपये द्वारा चैक सं0 789259 अदा किये गये हैं।

04.03.2021

अतः सादर निवेदन है कि मैं उक्त वर्णित अचल सम्पत्ति को विक्रय की अनुमति के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रपत्र सहित माननीय न्यायालय की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कर रही हूँ कि कृपया इस आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में मुझे उक्त अचल सम्पत्ति को विक्रय करने की अनुमति माननीय न्यायालय से प्रदान कराने की कृपा करें।

मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी।

आदर सहित।

भवदीया,

04.03.2021

(पूनम राजपूत)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं0 7,मुजफफरनगर।

दिनांकः–04.03.2021

संलग्नकः–

1. विक्रय पत्र दिनांकित 31.01.2011 की छाया प्रतिलिपि।
2. उद्धरण खतौनी की छाया प्रतिलिपि
3. चैक संख्या 789259 की छाया प्रतिलिपि
4. प्रतिज्ञा पत्र विक्रय की छाया प्रतिलिपि।
5. बैंक स्टेटमेन्ट (चैक धनराशि के सम्बन्ध में) की छाया प्रतिलिपि।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

पंत्रांक: 281/XV-28/16, दिनांक 04/03/2021
अग्रसारित

जनपद न्यायाधीश
मुजफ्फरनगर
04/03/2021

655 अनेक्चर-2

विक्रय पत्र हेतु वांछित विवरण

BAR ASSOCIATION DEHRADUN

1. मालियत विक्रयपत्र	:	रु. 1,97,000.00	क्र. 28794
2. बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया गया	:	रु. 1,97,000.00	
3. स्टाम्प शुल्क	:	रु. 11,900.00	
4. आवास विकास शुल्क	:	देय नहीं है	
5. कुल स्टाम्प शुल्क देय	:	रु. 11,900.00	
6. मुख्य क्षेत्र	:	मौजा देहराखास, देहरादून।	
7. सम्पत्ति	:	भूमिधरी भूमि खाता खतौनी संख्या 2179 (फसली वर्ष 1416 से 1421) खसरा संख्या 775 (टी0एच0डी0सी0 भूखण्ड संख्या 60 का भाग) रकबा 382.5 वर्गफिट अर्थात 35.54 वर्गमीटर स्थित मौजा देहराखास, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून	
8. सम्पत्ति का प्रकार	:	आवासीय भूमि	
9. मुख्य मार्ग से दूरी	:	विक्रीत भूमि मुख्य सहारनपुर रोड़ एवं हरिद्वार बाईपास मार्ग से लगभग डेढ़ किलोमीटर एवं 30 फिट चौडे मार्ग से भी 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।	
10. सर्किल रेट	:	रु. 5,000/- प्रति वर्गमीटर	
11 विक्रेता का नाम व पता	:	श्रीमती आशा लता पत्नी श्री भजन सिंह निवासी जाखपट्टी उदकोट, तहसील टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	
12. क्रेतागण का नाम व पता	:	(1) श्री आदेश कुमार चौहान एवं (2) श्री नवनीत कुमार चौहान पुत्रगण स्व0 श्री राजपाल सिंह चौहान निवासीगण मकान नं0 33, टी0एच0डी0सी0 कालोनी, फेज–प्रथम, देहराखास, देहरादून	
13. स्टाम्प पृष्ठों की संख्या	:	07 पृष्ठ	

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

विक्रय पत्र

श्रीमती आशा लता पत्नी श्री भजन सिंह निवासी जाखपट्टी उदकोट, तहसील टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (कि जिन्हें आगे इस विक्रय विलेख में "विक्रेता" कहकर सम्बोधित किया गया है)

.........*विक्रेता*

एवं

(1) श्री आदेश कुमार चौहान एवं (2) श्री नवनीत कुमार चौहान पुत्रगण स्व0 श्री राजपाल सिंह चौहान निवासीगण मकान नं0 33, टी0एच0डी0सी0 कालोनी, फेज–प्रथम, देहराखास, देहरादून (कि जिसे आगे इस विक्रय विलेख में "क्रेतागण" कहकर सम्बोधित किया गया है)

............क्रेतागण

(2)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

यह कि विक्रेता इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि की एकमात्र पूर्ण स्वामी, भूमिधर मालिक काबिज है, जिसका कि पूर्ण विवरण इस विक्रय पत्र के अन्त में सूची सम्पत्ति में दिया गया है। सूची में वर्णित भूमि विक्रेता के पिता स्व0 श्री बीरबल सिंह को पुनर्वास योजना, टिहरी जल विकास योजना के पत्रांक संख्या 507 दिनांकित 29–06–1992 के द्वारा प्राप्त हुई थी। स्व0 श्री वीरबल सिंह ने अपने जीवनकाल में एक अपंजीकृत वसीयत विक्रेता तथा विक्रेता की सगी बहन श्रीमती लाखा देवी तथा माता श्रीमती एकादश्वरी के हक में दिनांक 13–07–1982 को अंकित व निष्पादित कर दी थी। विक्रेता की माता श्रीमती एकादश्वरी देवी की मृत्यु दिनांक 04–03–2004 को हो गयी थी तथा विक्रेता के पिता की मृत्यु पूर्व में ही दिनांक 20–02–2003 को हो गयी थी। इस प्रकार सूची में वर्णित भूमि की मालिक, स्वामी, काबिज उपरोक्त वसीयत के आधार पर विक्रेता एवं उसकी सगी बहन श्रीमती लाखा देवी हो गयी तथा उपरोक्त वसीयत के आधार पर विक्रेता एवं विक्रेता की बहन श्रीमती लाखा देवी ने भूराजस्व अभिलेखों में अपना नाम अंकित कराने हेतु एक वाद नायब तहसीलदार, देहरादून के न्यायालय में योजित किया जिसका वाद संख्या 1511 वर्ष 2004 अंकित हुआ तथा उक्त वाद में निर्णय दिनांक 22–06–2004 के आधार पर विक्रेता व उसकी बहन का नाम प्रविष्ट किया गया तत्श्चात विक्रेता तथा उसकी सगी बहन श्रीमती लाखा देवी के मध्य आपसी घरेलू मौखिक बंटवारा हुआ और उस बंटवारे के आधार पर रास्ते की भूमि को काटकर शेष बची भूमि को विक्रेता व उसकी सगी बहन श्रीमती लाखा देवी ने आपस में बराबर बराबर बांट लिया तथा इसी मौखिक बंटवारे के आधार पर विक्रेता की बहन श्रीमती लाखा देवी ने अपने हिस्से में आयी सम्पूर्ण भूमि को पूर्व में ही विक्रय कर दिया।

(3)

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

यह कि सूची में वर्णित भूमि विक्रेता के हिस्से में आयी है तथा विक्रेता ही सूची में वर्णित भूमि पर काबिज है। विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज व अंकित है। इस प्रकार विक्रेता को सूची में वर्णित भूमि को विक्रीत करने, हस्तान्तरण करने, अन्तरण करने आदि आदि के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

यह कि इस विक्रय विलेख के अन्त में दी गई सूची में वर्णित भूमि हर प्रकार के भार, अधिभार, बन्धन, बन्धक, ऋण, आज्ञप्ति, कुर्की, वाद–विवाद, कर्जा सरकारी, गैर सरकारी आदि से पूर्णतः मुक्त है तथा विक्रेता को विक्रीत भूमि को हर प्रकार से प्रयोग उपयोग, उपभोग, विक्रीत, अन्तरित एवं हस्तांतरित आदि करने का अधिकार प्राप्त है। सूची में वर्णित भूमि विक्रय किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

यह कि विक्रेता इस विक्रय विलेख की सूची में वर्णित भूमि क्रेतागण को मु0 1,97,000/– (एक लाख सत्तानवे हजार रूपये मात्र) की एवज में विक्रय करने को सहमत है तथा क्रेतागण भी इसी कीमत में सूची में वर्णित भूमि क्रय करने को सहमत है, इस कारण यह विक्रय विलेख अंकित किया जा रहा है।

<u>अतः यह विक्रय विलेख निम्न साक्ष्यांकित करता है:–</u>

1. यह कि विक्रेता ने इस विक्रय विलेख की सूची में वर्णित भूमि तथा उसमें निहित अपने समस्त अधिकार, सुखाधिकार जिनमें हवा, पानी, रास्ता, नाली आदि के अधिकार सम्मिलित है तथा वह अधिकार जो विक्रेता को वर्तमान में प्राप्त है तथा वह अधिकार जो विक्रेता को भविष्य में प्राप्त हो सकते है, सहित स्थायी रूप से सदैव हेतु क्रेतागण को मुबलिग 1,97,000/– (एक लाख सत्तानवे हजार रूपये

Bshafare (4) [signature] Navneet K.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

E 520263

मात्र) की एवज में विक्रीत, अन्तरित, हस्तांतरित कर दी है तथा सूची में वर्णित भूमि से अपना कब्जा हटाकर व उठाकर क्रेतागण को अपने समतुल्य सूची में वर्णित भूमि पर बतौर मालिक, स्वामी, काबिज व अध्यासित करा दिया है।

2. यह कि क्रेतागण ने उपरोक्त वर्णित इकरार के अन्तर्गत विक्रेता को विक्रय प्रतिफल राशि रूपये 1,97,000/– (एक लाख सत्तानवे हजार रूपये मात्र) निम्नानुसार अदा कर दी है:–

क मु0 1,00,000/– रूपये द्वारा चैक संख्या 509582 दिनांकित 15–02–2011 वास्ते बैंक आफ बडौदा, देहरादून

ख मु0 97,000/– रूपये नगद

उपरोक्त धनराशि की प्राप्ति की पुष्टि विक्रेता उप निबन्धक, देहरादून के समक्ष करती है।

3. यह कि आज से विक्रेता का सूची में वर्णित भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं रह गया है। आज से क्रेतागण सूची में वर्णित भूमि के संयुक्त मालिक, स्वामी, काबिज, अध्यासी हो गये है। क्रेतागण को अधिकार होगा कि वह सूची में वर्णित भूमि का जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे, उपयोग करे, उपभोग करे, जल संयोग, विद्युत संयोग, सीवर संयोग, दूरभाष संयोग प्राप्त करे, मानचित्र स्वीकृत कराये, भवन निर्माण करे, अन्य किसी व्यक्ति को विक्रीत, अन्तरित, हस्तांतरित करे, इसमें विक्रेता किसी प्रकार की आपत्ति करने की अधिकारी नहीं होगी।

4. यह कि सूची में वर्णित भूमि के बाबत आज तक जो भी देय आदि वाजिब होंगे उनको अदा करने की पूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता की होगी। आज के पश्चात अदा करने की जिम्मेदारी क्रेतागण की होगी।

Ashafan (5) Navneeti

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रु. 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
E 520264
उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

5. यह कि क्रेतागण को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित अभिलेखों से विक्रेता का नाम खारिज करवाकर अपना नाम बतौर मालिक, स्वामी, दर्ज व अंकित करावे। नामांकन कार्यवाही में विक्रेता, क्रेतागण को पूर्ण सहयोग देगी।

6. यह कि यदि भविष्य में क्रेतागण को विक्रेता से सूची में वर्णित भूमि की बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अंकित कराने अथवा बयान दिलाने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी कार्यवाही विक्रेता, क्रेतागण के व्यय व अनुरोध पर करने के लिये बाध्य होगी।

7. यह कि भविष्य में यदि विक्रीत की जा रही भूमि या उसका कोई भाग विक्रेता के किसी दोष के कारण क्रेतागण के स्वामित्व व अध्यासन से निकल जाता है तो उस दशा में होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति क्रेतागण, विक्रेता से अथवा उसकी चल–अचल सम्पत्ति से प्राप्त करने के अधिकारी होगे।

8. यह कि इस विक्रय विलेख में शब्द विक्रेता व क्रेतागण में उनके वारिसान, उत्तराधिकारी, हित प्रतिनिधि आदि आदि समान रूप से सम्मिलित समझे जायेंगे।

<u>वांछित विवरण</u>

(1) विक्रेता एवं क्रेतागण के मध्य पूर्व में कोई विक्रय अनुबन्ध पत्र अंकित नहीं है।

(2) विक्रेता एवं क्रेतागण अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से नहीं है तथा विक्रेता एवं क्रेतागण दोनो भारतीय नागरिक है।

(3) विक्रीत सम्पत्ति सीलिंग के प्रावधानो से मुक्त है तथा विक्रीत भूमि की बाबत कोई सीलिंग विवाद लम्बित नहीं है।

(4) विक्रीत भूमि में कोई पेड, बाग, बाउण्ड्रीवाल, निर्माण आदि नहीं है।

(5) विक्रीत भूमि मुख्य सहारनपुर रोड़ एवं हरिद्वार बाईपास मार्ग से लगभग डेढ़ किलोमीटर एवं 30 फिट चौडे मार्ग से भी 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

(6)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

(6) विक्रीत भूमि नगर निगम देहरादून की सीमा के अन्दर स्थित है।

(7) विक्रीत भूमि औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नही है।

(8) यह कि विक्रीत की जा रही भूमि का मूल्य क्लेक्ट्रर देहरादून द्वारा निर्धारित सर्किल रेट मु0 रूपये 5,000/– प्रति वर्गमीटर की दर से मु0 रू0 1,78,900/– आती है। परन्तु स्टाम्प शुल्क विक्रय मूल्य मु0 1,97,000/– रूपये पर 6 प्रतिशत की दर से नियमानुसार मु0 11,900/– रूपये का अदा किया जा रहा है।

(9) यह कि सूची में वर्णित भूमि नगर निगम देहरादून की सीमा के अन्दर मौजा देहराखास, देहरादून में स्थित है, जिस पर अधिनियम संख्या 29 वर्ष 2003 के प्राविधान लागू नहीं होते है।

सूची सम्पत्ति

भूमिधरी भूमि खाता खतौनी संख्या 2179 (फसली वर्ष 1416 से 1421) खसरा संख्या 775 (टी0एच0डी0सी0 भूखण्ड संख्या 60 का भाग) रकबा 382.5 वर्गफिट अर्थात 35.54 वर्गमीटर स्थित मौजा देहराखास, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून, जिसे संलग्न मानचित्र में पूर्ण रूप से दर्शाया गया है तथा जिसकी सीमाये व नाप निम्न प्रकार है:–

पूरब	:	भूमि विक्रेता जो आज ही अन्य विक्रय पत्र के माध्यम से श्री गणेश बोस को विक्रय की जा रही है, सीमा में नाप 20 फिट
पश्चिम	:	भूमि अन्य, सीमा में नाप 20 फिट
उत्तर	:	20 फिट चौडा रास्ता, सीमा में नाप 19.25 फिट
दक्षिण	:	भूमि विक्रेता, सीमा में नाप 19 फिट

(7)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

E 520265

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

अतः यह विक्रय विलेख विक्रेता एवं क्रेतागण ने आज दिनांक 31–01–2011 को स्थान देहरादून में साक्षीगण के समक्ष अंकित व निष्पादित किया ताकि समयानुसार काम आवे व सनद रहे।

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेतागण

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस

विक्रेता का नाम एवं पताः– **श्रीमती आशा लता पत्नी श्री भजन सिंह निवासी जाखपट्टी उदकोट, तहसील टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड**

बाये हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह्

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह्

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

Ashalata

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेतागण का नाम एवं पताः– **(1) श्री आदेश कुमार चौहान एवं (2) श्री नवनीत कुमार चौहान पुत्रगण स्व0 श्री राजपाल सिंह चौहान निवासीगण मकान नं0 33, टी0एच0डी0सी0 कालोनी, फेज–प्रथम, देहराखास, देहरादून**

क्रेता संख्या 1 के बाये हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह्

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

क्रेता संख्या 1 के दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह्

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

क्रेता संख्या 1 के हस्ताक्षर

ग्राम का नाम / परगना : देहराखास(पछवादून)
भूमिधारो के अधिकारमे हो

Ashalata

क्रेता संख्या 2 के बाये हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

क्रेता संख्या 2 के दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

क्रेता संख्या 2 के हस्ताक्षर

गवाहः–

1. श्री प्रवीन कुमार
पुत्र स्व0 श्री संतोष कुमार
नि0 टी0एच0डी0सी0 कालोनी,
फेज–1, देहराखास, देहरादून

2. श्री अमरजीत सिंह
पुत्र श्री गजे सिंह
नि0 टी0एच0डी0सी0 कालोनी,
फेज–1, देहराखास, देहरादून

रचियता .... एडवोकेट, देहरादून
फोटो सत्यापितकर्ता पक्षकार स्वयं।
गवाहन ने विक्रेता एवं क्रेतागण की पहचान की।

Guanesh Mamu
Advocate
Regd No U P -630/8-

मानचित्र भूमिधरी भूमि खाता खतौनी संख्या 2179 (फसली वर्ष 1416 से 1421) खसरा संख्या 775 (टी0एच0डी0सी0 भूखण्ड संख्या 60 का भाग) रकबा 382.5 वर्गफिट अर्थात 35.54 वर्गमीटर स्थित मौजा देहराखास, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून

विक्रेता – श्रीमती आशा लता

क्रेतागण – (1) श्री आदेश कुमार चौहान एवं (2) श्री नवनीत कुमार चौहान

NOT TO SCALE

<u>विक्रीत भाग को लाल रंग की रेखाओं से घिरा दर्शाया गया है।</u>

N

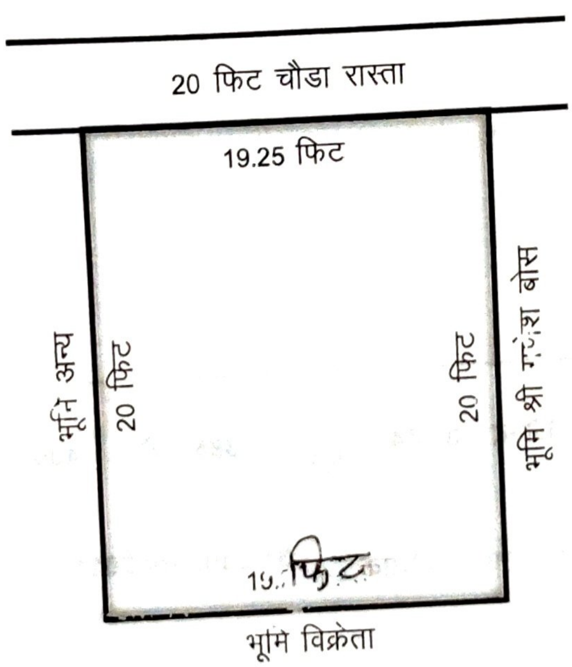

ह0 विक्रेता

ह0 क्रेतागण

ग्राम का नाम / परगना :

उद्धरण खतौनी

अनेक्चर-3

ग्राम क्रमांक : 741139 ग्राम का नाम / परगना : देहराखास(पछवादून) तहसील : देहरादून जनपद : देहरादून फसली वर्ष : 1416-1421 भाग : 1

1-क/भूमि जो सक्रंमणीय अधिकार वाले भूमिधारो के अधिकारमे हो

खाता खतौनी क्रम संख्या ---- 1 ---	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ---- 2 ----	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ---- 3 ----	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ---- 4 ----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ---- 5 ----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ---- 6 ----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ---- 7-12 ----	टिप्पणी ---- 13 ----
02179	लाखा देवी/जगत सिह/नि॰ कोटी आशालता/भजन सिह/नि॰ जाखा टिहरी गढवाल	1407फ.से	775 मि	0.1159	5.80	1418फ.आ.तह.दे.दून वाद सं0 1507/07-3-11 खाता सं0 2179 खसरा न0 775 रकबा 0.0022है0 लगानी 0.20 पैसे से विक्रेता श्रीमती आशालता पत्नी श्री भजन सिंह नि0 जाखपट्टी टिहरी गढवाल का नाम खारिज कर क्रेता श्री राकेश कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द नि0 52 ए, पथरीबाग देहरादून का नाम दर्ज होवे, दिनांक 31-1-11 मु0 1,23,000/- 1418फ.आ.तह.दे.दून वाद सं0 1505/07-3-11 खाता सं0 2179 खसरा न0 775 रकबा 0.0017है0 लगानी 0.20 पैसे से विक्रेता श्रीमती आशालता पत्नी श्री भजन सिंह नि0 जाखपट्टी टिहरी गढवाल का नाम खारिज कर क्रेता श्री अमरदीप सिंह पुत्र श्री सुखवीर सिंह नि0 373/1 ईस्टपटेल नगर देहरादून का नाम दर्ज होवे, दिनांक 31-1-11 मु0 96,000/- 1418फ.आ.तह.दे.दून वाद सं0 1508/07-3-11 खाता सं0 2179 खसरा न0 775 रकबा 0.0063है0 लगानी 0.80 पैसे से विक्रेता श्रीमती आशालता पत्नी श्री भजन सिंह नि0 जाखपट्टी टिहरी गढवाल का नाम खारिज कर क्रेता श्री नरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री चन्द्रभान नि0 टी एच0 डी0 सी0 कालोनी देहराखास, देहरादून का नाम दर्ज होवे, दिनांक 31-1-11 मु0 3,14,000/- 1418फ.आ.तह.दे.दून वाद सं0 1516/07-3-11 खाता सं0 2179 खसरा न0 775 रकबा 0.0036है0 लगानी 0.40 पैसे से विक्रेता श्रीमती आशालता पत्नी श्री भजन सिंह नि0 जाखपट्टी टिहरी गढवाल का नाम खारिज कर क्रेता श्री आदेश कुमार चौहान एवं श्री नवनीत कुमार चौहान पुत्रगण स्व0 श्री राजपाल सिंह चौहान नि0 33 टी0 एच0 डी0 सी0 कालोनी देहराखास, देहरादून का नाम दर्ज होवे, दिनांक 31-1-11 मु0 1,97,000/- 1418फ.आ.तह.दे.दून वाद सं0 1515/07-3-11 खाता सं0 2179 खसरा न0 775 रकबा 0.0018है0 लगानी 0.25 पैसे से विक्रेता श्रीमती आशालता पत्नी श्री भजन सिंह नि0 जाखपट्टी टिहरी गढवाल का नाम खारिज कर क्रेता श्रीमती सविता भारद्वाज पत्नी श्री मनोज भारद्वाज नि0 35 हरिद्वार रोड देहरादून का नाम दर्ज होवे, दिनाक 31-1-11 मु0 1,03,000/- 1418फ.आ.तह.दे.दून वाद सं0 1514/07-3-11 खाता सं0 2179 खसरा न0 775 रकबा 0.0018है0 लगानी 0.20 पैसे से विक्रेता श्रीमती आशालता पत्नी श्री भजन सिंह नि0 जाखपट्टी टिहरी गढवाल का नाम खारिज कर क्रेता श्री गणेश बोस पुत्र स्व0 श्री एन0 सी0 बोस नि0 नारायण विहार टी0 एन0	शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया पटेल नगर दे.दून के प्रमाण पत्र दिनांक 26-12-13 के अनुसार खाता सं0 2179 के खातेदार संजय पुण्डीर पुत्र राजपाल सिह का खसरा 775 रकबा 105.31 वर्ग मी0 भूमि मु0 17,00,000/- में बंधक होवे. शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया पटेलनगर दे.दून के पत्र दि. 25-2-14 के अनुसार खाता सं0 2179 के खातेदार दीपा शर्मा पत्नी मनोज कुमार का खाता मु0 11,50,000/- रू0 में बंधक किया जाता है, आदेशानुसार नायब तहसीलदार दे.दून के आदेश दि0 23-07-15 के अनुसार खाता सं0 2179 के खातेदार अमरदीप सिह पुत्र सुखवीर सिह का खसरा नं0 775 रकबा 17.42 वर्ग मी0 भूमि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स पटेलनगर सहारनपुर रोड दे.दून में बंधक की जाती है,

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

लक्ष्मण झूला रोड ऋषिकेश (देहरादून) उत्तराखण्ड (3714)
Laxman Jhula Road, RISHIKESH (Dehradun) Uttarakhand - 249002
RTGS/NEFT IFS Code : PUNB0371400

सभी शाखाओं पर देय PAYABLE AT ALL BRANCHES

24122020
D D M M Y Y Y Y

PAY POONAM RAJPUT या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES Two Lakhs Only

अदा करें ₹ 2,00,000/-

खाता सं. A/c. No. 3714000100187071 बचत खाता SAVING A/c

PLEASE SIGN ABOVE

URM

⑈789259⑈ 249024103⑆ 31

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

लक्ष्मण झूला रोड ऋषिकेश (देहरादून) उत्तराखण्ड (3714)
Laxman Jhula Road, RISHIKESH (Dehradun) Uttarakhand - 249002
RTGS/NEFT IFS Code : PUNB0371400

सभी शाखाओं पर देय PAYABLE AT ALL BRANCHES

24122020
D D M M Y Y Y Y

PAY POONAM RAJPUT या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES Two Lakhs Only

अदा करें ₹ 2,00,000/-

खाता सं. A/c. No. 3714000100187071 बचत खाता SAVING A/c

PLEASE SIGN ABOVE

URM

⑈789259⑈ 249024103⑆ 31

अनेक्सर - 5

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK04375168045867S
Certificate Issued Date	:	24-Dec-2020 04:10 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1214804/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK121480412120242776781S
Purchased by	:	PREM KUMAR
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	POONAM RAJPUT
Second Party	:	PREM KUMAR
Stamp Duty Paid By	:	PREM KUMAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND

NOTARIAL NOTARIAL

Attached No.

BRIJ MOHAN SHARMA

STAMP VENDOR

Please write or type below this line

विक्रय अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र श्रीमती पूनम राजपूत पत्नी स्व0 श्री आदेश कुमार स्वयं व बहैसियत प्राकृतिक संरक्षक अर्नव चौहान पुत्र स्व0 श्री आदेश कुमार निवासी–ग्राम अब्दुल रहमानपुर, महीजंग, तहसील नगीना, जिला बिजनौर हाल निवासी–जे–2, जज कम्पाउण्ड, मुजफ्फरनगर, उ0प्र0।

..................प्रथमपक्ष

एवम

श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप सिंह निवासी–100सी, नैशविला रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।

..................द्वितीयपक्ष

के मध्य निष्पादित किया गया है।

विदित हो कि प्रथम पक्ष अनुबन्धित भूमि के मालिक, काबिज, स्वामी व अध्यासी हैं। प्रथम पक्ष को अनुबन्धित सम्पत्ति को दान, विक्रय, अनुबन्ध, आदि आदि प्रकार से हस्तान्तरित करने के सम्पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त हैं।

विदित हो कि प्रथम पक्ष ने अनुबन्धित भूमि जिसका विवरण इस अनुबन्ध पत्र में दिया गया है, द्वितीय पक्ष को मु0 13,00,000/– (तेरह लाख रूपये मात्र) में विक्रय करना तय पाया है। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य सूची में वर्णित सम्पत्ति के विक्रय के बावत निम्नलिखित शर्तें तय पायी गयी हैं।

1. यह कि प्रथम पक्ष सूची में वर्णित सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष को विक्रय करना तय पाया है। जिसको क्रय करने पर द्वितीय पक्ष सहमत है। अनुबन्ध पत्र के

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND

02/03/2021

अंत में वर्णित सम्पत्ति में से 1/2 भाग के मालिक काबिज प्रथमपक्ष पूनम राजपूत के पति स्व0 श्री आदेश कुमार रहे तथा 1/2 भाग के मालिक व काबिज स्व0 श्री आदेश कुमार के छोटे भाई नवनीत कुमार रहे। श्री नवनीत कुमार के द्वारा अपने हिस्से के 1/2 भाग की सम्पत्ति का विक्रय द्वितीयपक्ष प्रेम कुमार के पक्ष में दिनांक 23.12.2020 को मु0 13,00,000/– (तेरह लाख रूपये) में विक्रय कर दिया गया है। अनुबन्ध पत्र के अन्त में वर्णित सम्पत्ति में से 1/2 भाग सम्पत्ति प्रथमपक्ष को अपने पति व पिता से क्रमश 1/4 भाग उत्तराधिकार में प्राप्त हुई जिसके मालिक व काबिज प्रथमपक्ष है।

2. यह कि दोनो पक्षों की आपसी सहमति से अनुबन्धित सम्पत्ति का सौदा मु0 13,00,000/– (तेरह लाख रूपये मात्र) आज में विक्रय करना तय व करार पाया गया है।

3. यह कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को सम्पूर्ण प्रतिफल धनराशि में से अग्रिम धनराशि मु0 2,00,000/– (दो लाख रुपये) आज निम्न प्रकार अदा कर दिये हैं:–

   क) मु0 2,00,000/– रूपये द्वारा चैक सं0 789259 दिनांकित 24.12.2020 अदा कर दिये है, जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष एतदद्वारा स्वीकार करती है। शेष विक्रय प्रतिफल राशि समय बैनामा ली व दी जायेगी।

NOTARY

4. यह कि दोनो पक्षों की आपसी सहमति से अनुबन्धित सम्पत्ति के विक्रय पत्र पंजीकरण हेतु आज की तिथि 24.12.2020 से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद उ0 प्र0 से विक्रय की अनुमति प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर की जायेगी, जिसमें समय अवधि आपसी सहमति से घटाई व बढाई जा सकती है।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No 13(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह प्रथम पक्ष के माध्यम से सूची में वर्णित सम्पत्ति का एक या एक से अधिक विक्रय पत्र अपने पक्ष में अथवा

अपने मनोनित व्यक्ति/व्यक्तियों के पक्ष में अंकित करा लें, इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

6. यह कि सूची में वर्णित सम्पत्ति आज तक हर प्रकार के भार, अधिभार, वन्धक, रहन, कुर्की, ऋण आदि से मुक्त है तथा किसी भी सरकारी या गैर सरकारी व वित्तीय संस्थाओं आदि में बंधक नही है।
7. यह कि विकय पत्र की तिथि तक के समस्त कर/लगान आदि प्रथम पक्ष द्वारा अदा किया जायेगा, विकय पत्र की तिथि के पश्चात से द्वितीय पक्ष अदा करेंगे।
8. यह कि अनुबन्ध पत्र में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष में उनके हित प्रतिनिधि, वारिसान व स्थानापन्न आदि शामिल हैं व सदैव शामिल समझे जायेंगे।

Kuldeep Singh
(Advocate)
Reg. No. UK 3896/04

IDENTIFY

विवरण सम्पत्ति

भूमि खाता सं0 2179 खसरा नं0 775 (टी0एच0डी0सी0 भूखण्ड सं0 60 का भाग) क्षेत्रफल 35.54 वर्गमीटर अर्थात 382.5 वर्गफीट का 1/2 भाग स्थित मौजा देहराखास, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून, जिसकी सीमायें व नाप निम्न हैं:–

पूरब में:	भूमि अन्य
पश्चिम में:	संयुक्त सीढीयां तत्पश्चात् सम्पत्ति नवनीत कुमार
उत्तर में:	20 फीट चौड़ा रास्ता, सीमा में नाप 19.25 फीट
दक्षिण में:	भूमि अन्य, सीमा में नाप 19 फीट

अतः यह विकय अनुबन्ध पत्र जिसकी शर्तों का पालन दोनो पक्ष, उनके उत्तराधिकारी व हित प्रतिनिधि सदैव करेंगे, अंकित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय अनुसार काम आए। इति लिखित दिनांक 24.12.2020 को स्थान कचहरी जिला देहरादून।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Dehradun
GOVT. OF UTTARAKHAND

प्रथम पक्ष .... द्वितीय पक्ष..........

साक्षी सं0 1.......... साक्षी सं0 2..........

Anand Pratap Bisht
S/o Bikram Singh Bisht.
R/o Hno-118 Haripur
Kalagaon Dehradun
248011

Krishna Kr. Singh
S/o late Sh. Lal Singh
103-C, Neshvilla Rd.
DehraDun
248001

ATTESTED
(RAJENDER SINGH NEGI)
Advocate & NOTARY
Chamber No. 92, 1st Floor
Opposite Bar Office
Collectorate Court Compound
Dehradun (Uttarakhand)

अनुलग्नक-6

Finacle

Universal Banking Solution from Infosys

02 March, 2021 | User 308834DKS | 182100 | Menu Shortcut: Go

Account Ledger Inquiry

Help

A/c. ID	1821000116881962 INR 182100 POONAM RAJPUT				
A/c. Status	ACTIVE		**A/c. Status Date**	02-01-2017	
A/c. Open Date	02-01-2017		**A/c. Close Date**		
GL Subhead	05100		**A/c. Type**	CUSTOMER ACCOUNT	
Opening Bal.	INR	5,796.52 CR.	**Available Amt.**	INR	2,05,761.82 CR.
Closing Bal.	INR	2,05,761.82 CR.	**Effective Available Amt.**	INR	2,05,761.82 CR.
Funds in Clg.	INR	0.00 CR.	**Float Bal.**	INR	0.00 CR.

Page 1 of 1

Tran. Date	Value Date	Instr. No.	Particulars	CCY	Debit Amt.	Credit Amt.	Bal
09-02-2021	09-02-2021		ATM ANNUAL CHARGES FOR THE YEAR ENDED 2020- 2021	INR	177.00		2,05,761 82CR
27-01-2021	27-01-2021		PREM	INR		2,00,000.00	2,05,938 82CR
09-01-2021	09-01-2021		SMS CHRG FOR:01-10-2020to31-12-2020	INR	17.70		5,938 82CR.
06-12-2020	01-12-2020		1821000116881962:Int.Pd:01 09-2020 to 30-11-2020	INR		160.00	5,956 52CR.

OK